न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या ::— 35/2024

लादुलाल पुत्र मु.रामेश्वर प्राकृतिक पिता हजारी धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0बेगूँ	बनाम	विष्णु पुत्र कैलाश धाकड निवासी चन्दाखेडी तह0 बेगूँ

वाद पत्र अ.धा. 88—188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित ::— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री भोलेश कुमार भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

आदेश दिनांक ::— 05.06.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्य.प्र.संहिता

दावा पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि उक्त प्रकरण में वादी संख्या 1 ने अपने आपको रामेश्वर का गोद पुत्र बताकर वाद पेश किया है एवं रामेश्वर का पूर्ण हिस्सा अपने नाम कराने की दाद चाही है।

यह कि वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित सजरे में वादी लादुलाल को हजारी का एक मात्र पुत्र दर्शाया है। कानूनन किसी भी व्यक्ति के एक ही पुत्र होने पर उसके गोद नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी लादु रामेश्वर का गोद पत्रु नहीं है एवं उसने हिस्से से अधिक की दाद चाही है। उक्त तथ्य विधि द्वारा वर्जित होन से वाद पत्र चलने योग्य नहीं होकर इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

यह कि वादी लादु को रामेश्वर का गोदपुत्र बताकर उसका हिस्सा मांगना विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र वादीगण खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादीगण को दी गई जिन्होने प्रार्थना प.त्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 सही होकर स्वीकार है तथा कलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार से है कि वादी सं0 1 रामेश्वर का गोद पुत्र है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 का जवाब इस प्रकार से है कि कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक मात्र पुत्र को गोद नहीं दिया जा सकता। प्रतिवादीगण ने गलत तथ्य अंकित किये है जो चलने योग्य नहीं है। साथ ही इस आधार पर कोई वाद इस प्रकम पर निरस्त नहीं हो सकता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। आदेश 7 नियम 11 के विधि प्रावधानो के तहत यह प्रार्थना पत्र कवर नहीं होता है जिससे सव्यय निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण ने मात्र प्रकरण को विलम्बित करने की नियम से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत होने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपर्वूक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि यह दावा विधि के विरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। वादी संख्या 1 अपने आप को रामेश्वर का गोदपुत्र बताया है सम्पूर्ण हिस्सा रामेश्वर का खुद के नाम करवाना चाहता है। लादु हजारी का एक मात्र पत्र बताया गया है सजरे में नियमानुसार एक मात्र पुत्र सतान को गोदपुत्र नही रखा जा सकता है. साथ ही गोदपुत्र भी सिद्ध नहीं कराया है. पहले गोदपुत्र की घोषणा करवाई जावे। इस प्रकार वादी का वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार फरमाया जावे व वादपत्र निरस्त फरमावें।

बहस में अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी) ने बहस प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र की विषय वस्तु के आधार पर आदेश 7 नियम 11 लागू नहीं होगी। हिन्दु एडोप्शन एक्ट में उल्लेख नहीं है कि सिंगल पुत्र गोद नहीं जा सकता सेक्शन 10 व सेक्शन 11 का अवलोकन फरमावें। चुन्नीलाल गोद चला गया परन्तु दौला की सन्तान होने से उसका नाम इधर लग गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का निरस्त किया जाने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी का निरस्त फरमावें।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। हमारे द्वारा दावा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी) द्वारा बहस के वक्त प्रस्तुत हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 व 11 का छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नियमो में अंकित धारा 10 के कॉलम 2– वह पहले ही से दत्तक तो नहीं लिया जा चुका है, 3– उसका विवाह नहीं हुआ है 4– अपने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है इन सभी तथ्यो का वादी स्पष्ट नहीं करा सके है। गोद पुत्र लिया जाने के प्रावधानो में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि पूर्व में वह पहले गोद तो नहीं गया हो, गोद जाने वाले बालक की आयु 15 वर्ष से कम की हो, साथ ही वह अविवाहित हो इन मुख्य तीन बिन्दुओ पर वादीगण को अपने जवाब में स्पष्ट तथ्य अंकित करने थे जो नहीं किये है। साथ ही नियम 11 विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तो के नियम 3 में यदि दत्तक किसी पुरूष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बडा हो। इस प्रकार वादीगण द्वारा गोदपुत्र भी सिद्ध नहीं कराया है, पहले गोदपुत्र की घोषणा करवाते हुए ही यह वाद लाया जाना हम न्यायसंगत समझते है। हम अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस से एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से पूर्णतया सहमत है। प्रस्तुत प्रार्थना प.त्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः दावा पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा गोदपुत्र की घोषणा कराते हुए वादपत्र लाया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं